

कार्यालय कलेक्टर (मू-अभिलेख शाखा) जिला कबीरधाम छ0ग0

:- प्रेस विज्ञप्ति :-

क्रमांक/ 97 /अ.मू.अ./स्था./2017

कबीरधाम, दिनांक: 29/08/2017

जिला कबीरधाम में रिक्त पटवारी पदों के लिए प्रशिक्षण हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु जारी अनंतिम सूची पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया गया है। दावा आपत्ति के निराकरण को सम्पूर्ण जानकारी जिले के वेबसाइट www.kawardha.gov.in पर उपलब्ध है।




अपर कलेक्टर
जिला-कबीरधाम

पृ. क्रमांक/112/अ.मू.अ./स्था./2017

कबीरधाम, दिनांक: 29/08/2017

प्रतिलिपि:-

3. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कबीरधाम (NIC) की ओर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं समस्त दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशन हेतु।



अपर कलेक्टर
जिला-कबीरधाम

रिक्त पदवारी पदों के लिए प्रशिक्षण हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु जारी अनंतिम सूची पर्याप्त प्राप्त द्वारा आपत्ति का निराकरण

क्र. आवेदक का नाम	प्राप्त द्वारा आपत्ति	प्राप्त द्वारा आवेदित का निराकरण	सिमांक
1 2 3			5
4 विलय कुमार भुव	1. सत्यानन सूची में नाम नहीं होने के बावजूद चयन सूची में नाम है। 2. डी.सी.ए. प्रमाण पत्र को मन्थन नया दिया गया है?	1. आपत्तिकर्ता द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम पर आवेदित दर्ज की गई है उनका नाम प्रथम सत्याननन द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। सूची में अंकित है। 2. पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है।	
2 नीतू करण	परीक्षा सूची में कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है। पर्युत करने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।	
3 दीपक कुमार परकाभ	चयन सूची में तीसरा नम्बर होने के बावजूद पाँचवाँ नम्बर वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 8 के सं. क्र. 2 के अनुसारा द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। विज्ञापन तिथि को जिला सेजगार कार्यालय में जितित पंजीयन नहीं है इसलिए अपात्र है।	
4 सीता राम नेताम	अपात्रता का कारण जानना चाहते हैं।	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र पर्युत न करने के कारण अपात्र।	द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है।
5 कु. विन्दु श्रीवास्त	कम्प्यूटर योग्यता का सर्टीकरण द्वारा गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है।	
6 श्रीमती यमुना भुव	परीक्षा सूची में नीचे योग्यता वाले को लिए जाने का कारण पूछा गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है।	
7 सुनील दिवारी	कम्प्यूटर योग्यता का सर्टीकरण द्वारा गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है।	
8 सुनील कुमार	कम्प्यूटर योग्यता का सर्टीकरण द्वारा गया है।	पदवारी प्रशिक्षण परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के कोडिका क्र. 5 में डी.सी.ए. कम्प्यूटर द्वारा आपत्ति अमान्य की जाती है। प्रमाण पत्र का नाम अहर्ता में अंकित नहीं है। अतः अमान्य किया जाता है।	

अपर कलेक्टर
जिला कबीरखान